## न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 230/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/00057)**

रसीद मोहम्मद पुत्र स्व. यासीन जाति मुसलमान निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
2. सदा बीबी पुत्री यासीन पत्नी रामखां जाति मुसलमान निवासी मल्लखेड़ा हाल आबाद ढाणी नूरपुरा तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।

**रेस्पोर्डेंट्स**

**उपस्थितः**
1. श्री करण सिह – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 10–10–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने चक 11 एम.के.एस. तहसील टिब्बी, द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सं. 222 दिनांक 30.11.2009 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2017 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता के नाम से चक 11 एम.के.एस. तहसील टिब्बी के पत्थर नं. 181/228 (10) किला नं. 21, पत्थर नं. 181/229 (11) किला नं. 1, पत्थर नं. 181/232

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(31) किला नं. 7 से 14, 17 से 24, पत्थर नं. 180/232 (32) किला नं. 4, 7, 14, 15, पत्थर नं. 180/233 (33) किला नं. 15/1/0.127,16, पत्थर नं. 181/233 (34) किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12 कुल 7.717 हैक्टेयर नहरी अनकमाण्ड मय रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। यह भूमि यासीन के नाम से सम्वत् 2066 में कुल भूमि में 14.927 हैक्टेयर मे से 1.700 हिस्सा दर्ज थी। यासीन की मृत्यु दिनाक 28.06.2006 को होने के बाद दिनांक 30.11.2009 को विरास्तन इन्तकाल यासीन के वारिसानो पत्नी कमो का 1/2 हिस्सा, पुत्री सदा बीबी का 1/4 हिस्सा, व पुत्र रसीद मोहम्मद का 1/4 हिस्सा जरिये नामान्तरण आदेश दिनांक 30.11.2009 दर्ज कर दिया जो मुस्लिम विधि के विपरित था। इसको निरस्त करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2017 को खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का अवलोकन ही नही किया कि मुस्लिम विधि मे मृतक की पत्नी का हिस्सा का कुल भूमि का 1/8 होता है और पुत्री का हिस्सा पुत्र से आधा होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जाति धर्म एवं परम्परागत ढंग से समस्त वारिसान को उनकी श्रेणी के अनुसार हिस्सा प्राप्त होने के तथ्य का उल्लेख किया गया है, इसके बावजूद विवादित कृषि भूमि मे मुस्लिम जाति के विरास्तन इन्तकाल के सुस्थापित सिद्धांतो का उल्लधन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। नामान्तरण आदेश दिनांक 30.11.2009 क्रमांक 222 में दर्ज सजरा खानदान की इस पत्रावली में नामान्तरण का आधार के संबध मे कोई भी दस्तावेज पेश नही हुवे थे और ना ही नामान्तरण का कोई आधार दर्ज था, इसके बावजूद इन दस्तावेजो को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.06.2017 व नामान्तरण आदेश संख्या 222 दिनांक 30.11.2009 को निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट की अपील प्रभावहीन हो चुकी है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष भी यह तथ्य प्रस्तुत हो गया था कि जिस इन्तकाल की अपील प्रस्तुत की गई उसके पश्चात दोनो पक्षकारो

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा सहमति से खाता विभाजन का दावा डिक्री करवाया गया तथा उस डिक्री की पालना मे नया इन्तकाल सं. 258 स्वीकृत किया जा चुका है। इसलिए इन्तकाल सं. 222 प्रभावहीन हो चुका है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि नामान्तरण सं. 222 विरास्तन दर्ज में मृतक खातेदार के तीन वारिसान पत्नी, पुत्र व पुत्री के हिस्से न तो परम्परागत ढग से दर्ज किये गये है तथा ना ही मुस्लिम विधि के अनुसार दर्ज किये गये है, बल्कि वारिसान के हिस्से अपरम्परागत रीति से दर्ज किये गये है। उपरोक्त नामान्तरण दर्ज होने के पश्चात्वर्ती प्रक्रम में राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की रूह से तीनो वारिसान का हिस्सा बराबर यानि 1/3–1/3–1/3 दर्ज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रयोजन से मृतक खातेदार की विरास्त दर्ज करते समय प्रायः सभी जाति – धर्म के मामलो में परम्परागत ढंग से समस्त वारिसान को उनकी श्रेणी के अनुसार हिस्सा प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के कारण हुआ है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक (Fiscal) फिस्कल कार्यवाही है, उक्त नामान्तकरण सं. 222 के पश्चात उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय मे जरिये राजीनामा डिक्री दिनांक 08.11.11 की पालना मे नामान्तकरण सं. 258 दर्ज हो चुका है। उक्त डिक्री को किसी पक्षकारान द्वारा चुनौती देने का तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में रसीद मोहम्मद बनाम सदा बीबी के मध्य एक नियमित राजस्व वाद सं. 573/16 विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारो के हितो का अंतिम निस्तारण होना है जो कि केवल नियमित वाद के माध्यम से हो सकता है। उक्त घोषणात्मक वाद अपीलान्ट की

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ओर से दायर किया गया है, चूकि नियमित वाद पक्षकारो के मध्य विचाराधीन है ऐसी स्थति में उक्त अपील संधारण योग्य नही होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर